

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 02.04.2024

धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक से ऋण लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त
गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में 30नि हरिशंकर यादव मय पुलिस टीम थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/23 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त रामकेवल पुत्र नगई निवासी ग्राम दहला पोस्ट मैनाभागर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

घटना सक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बड़ौदा यू0पी0 बैंक शाखा जंगल कौड़िया से जालसाजी करके ट्रैक्टर हेतु 4 लाख रूपया व के0सी0सी0 2 लाख रूपया व रोटावेटर हेड हेतु 70 हजार रूपया ऋण लेकर हड़प लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामकेवल पुत्र नगई निवासी ग्राम दहला पोस्ट मैनाभागर थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 279/23 धारा 419,420,467,468,471,406 भादसं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 30नि हरिशंकर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- कां0 श्याम जी यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर